25-2-16 | वकील वादी ~~...~~ उप० है। प्रतिवादी नं० 1, 2,3 के वकील व स्वयं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं० 5 की ओर से श्री रविशंकर शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जबाब दावा पत्रावली 21-4-16 को पेश हो।

21-4-16 | वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील प्रतिवादी नं० 5 जबाब दावा पेश करने को समय चाहते है। अत: वास्ते जबाब दावा पत्रावली दि० 12-5-16 को पेश हो।

12-5-16 | वकील उभयपक्ष उप० है। पत्रावली दि० 30-6-16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापुरसिटी पर पेश हो। श्रीमान् S.D.O. सा० भ्रमण पर है। — 4706 / 12 — 21.6.16

30-6-16 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापुर सिटी पर पेश हुई। वादी श्रीचन्द तथा प्रतिवादीगण अर्जुन, कस्तूरी, गोरधनी, राजबाई उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० 67 रकबा 33 एयर, 68 रकबा 38 एयर ग्राम मिर्जापुर में प्रति० नं० 1 द्वारा जो ½ दि० प्रति० नं० 5 को जरिए रजि० विक्रय किया है उसकी खातेदारी प्रति० सं० 5 श्रीमती राजबाई के नाम दर्ज कर दी जावे तथा पक्षकारान के मौखिक रूप से विभाजन के अनुसार रिकार्ड में विभाजन कर भूमि ख० नं० 67 रकबा 33 एयर ग्राम मिर्जापुर पृथक रूप से प्रति० सं० 5 के नाम दर्ज कर दिया जावे तथा ख० नं० 68 रकबा 38 एयर ग्राम मिर्जापुर पृथक रूप से वादी के नाम दर्ज कर दिया जावे। इसी अनुसार खाते पृथक पृथक कर रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया जावे।

अ० अर्जुन ...

नि० गोरधनी

नि० कस्तूरी

नि० राजबाई

हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 का कहना है कि उन्होंने ख०नं० 67, 68 में से उनके ½ हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं० 5 को जरिए रजिस्ट्री बेच दी है। यह बेचीगई भूमि प्रतिवादी नं० 5 के नाम दर्ज कर दी जावे, हमें कोई आपत्ती नहीं है। इन प्रतिवादीगण के कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकोपी विक्रयपत्र दि० 7-2-2012 से भी होती है।

प्रतिवादी नं० 5 ने बताया कि इस न्यायालय से स्थगन होने के कारण रजिस्ट्री का नामान्तरकरण उसके नाम नहीं हो पाया है इसलिए पहले रजिस्ट्री का नामान्तरकरण प्रतिवादी नं० 5 के नाम खोल दिया जावे। इसके अलावा वादी व प्रतिवादी नं 5 के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए वादी व हमारे बीच भूमि का विभाजन कर ख०नं० 68 रकबा 38 स्यर ग्राम मिर्जापुर वादी के नाम जमा दी जावे तथा ख०नं० 67 रकबा 33 स्यर ग्राम मिर्जापुर प्रतिवादिया सं० 5 के नाम दर्ज कर दी जावे। इसी अनुसार रेकार्ड बना दिया जावे।

अतः राजीनामा अनुसार वाद का निर्णय किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है। विक्रय पत्र दि० 7-2-12 के अनुसार प्रतिवादी नं० 5 के नाम भूमि का इन्द्राज किया जावे। पक्षकारों के मध्य

1, 2, 3 के ... है। अतः ... है। प्रतिवादी ... ने वकालतनामा ... 21-4-16

प्रतिवादी नं० 5 ... है। अतः ... 6 को पेश हो।

4706-12
21.6.16

... कैम्प ... तथा ... राजनामाई ... पेश किया। ... का पेश ... रकबा 33 ... मिर्जापुर ... नं० 5 ... ... के ... के ... अनुसार ... नं० 67 ... रकबा ... किया ... ग्राम ... दर्ज कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक... हुक्म में
	भूमि विभाजन कर उनमें हुए राजीनामा अनुसार भूमि ख०नं० 68 रकबा 38 एयर ग्राम मिर्जापुर वादी श्रीचंद के नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे तथा भूमि ख०नं० 67 रकबा 33 एयर ग्राम मिर्जापुर प्रतिवादिया राजबाई की खातेदारी मे दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीचंद गुर्जर पुत्र स्व. बन्नो, गुर्जर निवासी गुर्जरो की झोपडी, मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रूपचंद गुर्जर निवासी गुर्जरो की झोपडी, मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कम्पूरी पुत्री रूपचंद पत्नी बृजलांल गुर्जर निवासी टोटीपुरा ग्राम पंचायत भरतून तह0 सपोटरा
3. गोरधनी पुत्री रूपचंद पत्नी गिर्राज गुर्जर निवासी टोटीपुरा ग्राम पंचायत भरतून तह0 सपोटरा
4. लैण्ड होल्डर सब रजिस्टार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. श्रीमती राजबाई पत्नी गुलशन गुर्जर निवासी गुर्जरो की झोपडी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 136/2013

वादी की ओर से वादी श्रीचंद गुर्जर की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 30.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख.न. 68 रकबा 38 एयर, ख0न0 67 रकबा 33 एयर ग्राम मिर्जापुर में विक्रयपत्र दिनांक 7.2.12 के अनुसार प्रतिवादी न0 5 के नाम भूमि का इन्द्राज किया जावे। तत्पश्चात पक्षकारो में हुए राजीनामा अनुसार भूमि ख0न0 68 रकबा 38 एयर ग्राम मिर्जापुर वादी श्रीचंद के नाम एवं भूमि ख0न0 67 रकबा 33 एयर ग्राम मिर्जापुर प्रतिवादी राजबाई की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगां। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 30.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ....गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापुर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 30/6/16

पीठासीन अधिकारी महोदय

गंगापुर सिटी
श्रीचन्द ....बनाम.... अर्जुन वगैरा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 207 R.T. Act
संख्या - 136/13

उक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री श्रीचन्द ...... उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच सुलह हो गई कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- कि भूमि ख.नं. 67 रकबा 0.33 है., 68 रकबा ... ग्राम- मिर्जापुर में प्रति.नं. 1 रूपचन्द जो ½ हि० प्रति.नं. 5 की ... के नाम दर्ज काश्त है उसकी खातेदारी प्रति. सं.-5 श्रीमति राजबाई ... विभाजन ... पक्षकारान के मौखिक रूप से विभाजन के अनुसार ... विभाजन ... प्रति.सं. 5 ... ख.नं. 67 रकबा 0.33 हे० ग्राम-मिर्जापुर पृथक रूप से प्रति.सं. 5 ... दर्ज किया जावे तथा ख.नं. 68 रकबा 0.38 हे० ग्राम-मिर्जापुर पृथक रूप दर्ज किया जावे। ... अलग खाते पृथक-पृथक कर रिकार्ड ... ... दर्ज किया जावे।
... निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी पक्ष 1. ...... नि० राजबाई
2. ......
3. ...... नि. कुमपुर
4. ...... नि. ...

1. ... श्रीचन्द
2. ...
3. ...
4. ...

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ...... अर्जुन ...
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ......

... के हस्ताक्षर ...... (N.S. Gupta Advocate)
नाम ......

... / वादी श्रीचन्द ...... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी अर्जुन वगैरा ...... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर